

प्रारूप

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन जिसमें आयकर विभाग में शास्ति और अभियोजन के प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ/प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

हमारे निष्कर्ष मुख्यतः अगस्त से दिसम्बर 2012 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।